

FORM NO.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

लय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर

वाद संख्या : 16 / 2026

वादी



ती देवी वगैरा

बनाम

प्रतिवादी

शान्तिदेवी वगैरा

मुकदमा- वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
6	<p>वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी होकर पत्रावली दिनांक 09.03.2026 को पेश हों।</p> <p style="text-align: center;">  सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी </p>	
9/3/26	<p>पत्रावली पेश हुई। पीकारीन अधिकारी अवकाश पर है दौरे पर है। दीगर कार्या में बास्त है। अतः पत्रावली दिनांक 13/04/26 को पेश हो।</p>	
3-4-26	<p>पत्रावली पेश हुई। पीकारीन अधिकारी अवकाश पर है दौरे पर है। दीगर कार्या में बास्त है। अतः पत्रावली दिनांक 8-6-26 को पेश हो।</p>	
8-6-26	<p>पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में व्यापारिक क्षमता में वादी एवं वादी के अन्वेषण के आवाजे दिलवाई गई। परन्तु कोई उपस्थित नहीं देने के कारण वादी का वाद पर अयम हाजरी एवं अयम पत्रवाली में रजिस्टर किया गया एवं पत्रावली केसल शुमार होकर दाखिल करवाया है।</p> <p style="text-align: center;">  सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी </p>	